

प्रेस नोट दिनांक-18.07.2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त धुन्नीपाल पुत्र चुनकू निवासी ग्राम बिहरवां थाना सरधुआ जनपद चित्रकूट को 45 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुआ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

45 क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह
3. आरक्षी वेद प्रकाश
4. आरक्षी ललित सोनी

(2). दिनांक-17.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(3). आज दिनांक 18.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विजय बहादुर सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अ0सं0-288/19 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट के वारंटी अभियुक्त अर्जुन सिंह पटेल पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम खंडेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री विजय बहादुर सिंह थाना मऊ
2. आरक्षी इंदल कुमार

(5). श्री मान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में मादक पदार्थों के तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक नागेन्द्र कुमार नागर के मार्गदर्शन में वरि0 उ0 नि0 श्री रामवीर सिंह तथा उनकी

टीम द्वारा अभियुक्त रमजान वक्स पुत्र कुतुबुद्दीन निवासी बाईपास इटौरा थाना विश्वविद्यालय रीवा जनपद रीवा मध्य प्रदेश व अभियुक्त कृष्ण कुमार शुक्ला पुत्र दिनेश कुमार निवासी लोही थाना शहर कोतवाली रीवा जनपद रीवा मध्य प्रदेश को रामनगर कस्बा में अस्पताल मोड़ पर रात्रि नाजायज 01-01 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किये गये।

बरामदगी

02 किलो गांजा

बरामदगी/ गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि030नि0 श्री रामवीर सिंह थाना रैपुरा
2. आरक्षी दुर्गेश कुमार
3. आरक्षी महेंद्र सिंह
4. आरक्षी अतुल सिंह परिहार

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन मे अपराध पर अकुंश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विजय बहादुर यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. अवधेश निषाद पुत्र अर्जुन प्रसाद निवासी मैदाना कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट 02. सुनील निषाद पुत्र बच्चा लाल निवासी बालापुर कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट 03. कमलेश कुमार पुत्र अमृतलाल निवासी मैदाना कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट 04. विपिन पुत्र करन प्रसाद निवासी ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट 05. सोनू पांडे उर्फ आशीष पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट06. प्रकाश शुक्ला पुत्र बचऊ शुक्ला निवासी कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट07. सागर पुत्र स्व0 शिवसेवक निवासी पहाड़पुरवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को ताश के पत्ते पर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 4500 रूपये व जामा तलाशी 3200 रूपये कुल 7700 रूपये व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किये गये, जिसके सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0- 151/22 धारा- 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

मालफड़ 4500 रूपये व 52 अदद ताश के पत्ते

जामा तलाशी 3200 रूपये

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री विजय बहादुर यादव थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री अजहर जमाल
3. आरक्षी इंदल कुमार
4. आरक्षी विवेक यादव
5. आरक्षी ज्ञान सिंह
6. आरक्षी हृदेश भारती

(7). आज दिनांक 18.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री अशोक कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ आनन्द द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरूप श्री संजय कुमार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 26/2006 धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार सोनी पुत्र चन्द्रकेशन सोनी निवासी कुबेरगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से व जेल में वितायी गयी अवधि से दण्डित किया गया ।